

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क- 10 अ/19(3) वर्ष 2019-20
मौजा- पिथोली प.ह.नं. 26
तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

परियोजना प्रशासक,
बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन

..... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 29 /05/2019)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर का पत्र क्रमांक-163/कार्य/2018-19 सागर दि. 06.02.19 के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दि. 12.02.14 से बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हेतु डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले 1190.56 हे. राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि में से बीना परियोजना में वर्तमान में 618.49 हे. भूमि उपयोग में ली जाना एवं शेष रकवा 572.07 हे. भूमि बण्डा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित की गई। प्राप्त पत्र के पालन में इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक-1197/री.कले./19 सागर दिनांक 08.02.19, के माध्यम से तहसीलदार बण्डा एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार बण्डा का प्रकरण क्रमांक-0071 बी/121 वर्ष 19-20 मौजा पिथोली अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा के माध्यम से प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुआ। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग के द्वारा मौका स्थल पर जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौका स्थल निरीक्षण में लेख है कि तहसील बण्डा राजस्व निरीक्षक मंडल बहरोल के ग्राम पिथोली में स्थित भूमि ख.नं. 1/2 रकवा 50.00 हे. भूमि जो कि बीना परियोजना के डूब क्षेत्र उपरांत बदले में वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु प्रदाय की गई थी, जिस पर वर्तमान में वन विभाग का अधिपत्य है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में बण्डा परियोजना के नाम से कम्प्यूटर अभिलेख में नाम परिवर्तन करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मौके पर राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। वन विभाग के पत्र क्रमांक/मा.चि./18/480 सागर दिनांक 08.02.19 जो कि वन मंडल अधिकारी सागर द्वारा सहमति प्रेषित की गई है। तहसीलदार बण्डा के प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा द्वारा अपनी अनुशंसा की गई।

अतः तहसीलदार बण्डा/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बण्डा के प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होकर मौजा पिथोली प.ह.नं. 26 रा.नि.मं. बहरोल तहसील बण्डा जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :-

स.क्र.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	हस्तांतरित रकवा (हे.में)	मद
01	पिथोली	26	1/2	50.00	50.00	वन विभाग म.प्र.शासन

कलेक्टर
सागर



वन विभाग को पूर्व में इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.14 के द्वारा हस्तांतरित हो चुकी है तथा अधिपत्य भी वन विभाग का है। अतः खसरा के कॉलम नंबर 12 में बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बण्डा सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि के बदले अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कलेक्टर

जिला-सागर

पृ0क0 / 4124/री0कले0 / 2019
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक 29/05/2019

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरुस्ती कराये जाने हेतु प्रेषित संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
2. परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार बण्डा जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर

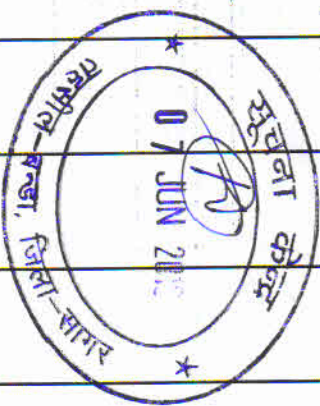
जिला-सागर



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फॉर्म पी - II
खसरा

सी. एल. आर. नं. : 1110030200026086000232

ग्राम: पिथोली		हल्का : 26 पिथोली		रा. नि. नं. नबरोल	तहसील नं-डा	खतों की भूमि				जिला: सागर	वर्ष: 2018-2019	
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में सांकेतिक न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई है और देख रखने का लगान	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार का या किसी मौसमी कार्रकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप पट्टे पर दिए गये धार का क्षेत्रफल	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई		पट्टी का क्षेत्रफल				खतों के बाहर के क्षेत्रों में बाँटे गये फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	11	12
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दफ्तरी क्षेत्रफल	चार वर्ष की पट्टी	2 से 5 वर्ष तक की पट्टी	अन्य पट्टी अथवा 5 वर्ष से अधिक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1/2	50.000 वन शास कीय 50.000 0	(शासकीय) वन विभाग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय								अन्य 50.0000		न्यायालय कलेक्टर सागर के पत्र क्र 988-रीडर -14 दि. 12-2-14 के अनुसार वन विभाग को हस्तान्तरित श्रीमान कलेक्टर म. हो. सागर के रा. प्र. क्र. 26/अ/19(3) वर्ष 2012-13 में पारित आ. दि. 23-11-12 के अनुसार इस ख. नं. 1 रकबा 57.88 है. में से 50.00 है. भूमि बीना संयुक्त सिंचाई एवम् बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वन विभाग की ंदूक्षेत्र में आने वाली भूमि के बदले में कालिक दधारोपण हेतु वन विभाग को दिये जाने हेतु आरक्षित की गई। नामांतरण (डिक्री) प्रकरण क्रमांक 10 आ. द ि. 06/06/2019 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय कलेक्टर मध्य प्रदेश के रा 10 प्र 0 क 0 10 अ 19-3 वर्ष 2019-20 आदेश दि 0 29/05/2019 के अनुसार बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के रखा न पर बड़ा सिंचाई परियोजना को हस्ता 10 दि. 07/06/2019 को तहसीलदार द्वारा प. 4 में दर्ज भूमि प्रकार निजी से शासकीय में संशोधन किया गया।



न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क- 11 अ/19(3) वर्ष 2019-20

मौजा- बगपुरा प.ह.नं. 35

तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

परियोजना प्रशासक,

बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर

तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन

..... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक २९ /०५/२०१९)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर का पत्र क्रमांक-163/कार्य/2018-19 सागर दि. 06.02.19 के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दि. 12.02.14 से बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना हेतु डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले 1190.56 हे. राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि में से बीना परियोजना में वर्तमान में 618.49 हे. भूमि उपयोग में ली जाना एवं शेष रकवा 572.07 हे. भूमि बण्डा सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले में आरक्षित किया जाना प्रस्तावित की गई। प्राप्त पत्र के पालन में इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक-1197/री.कले./19 सागर दिनांक 08.02.19 के माध्यम से तहसीलदार बण्डा एवं अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार बण्डा का प्रकरण क्रमांक-0073 बी/121 वर्ष 19-20 मौजा बगपुरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा के माध्यम से प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुआ। तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि राजस्व विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग के द्वारा मौका स्थल पर जाकर संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौका स्थल निरीक्षण में लेख है कि तहसील बण्डा राजस्व निरीक्षक मंडल बहरोल के ग्राम बगपुरा में स्थित भूमि ख.नं. 364/2 रकवा 50.00 हे. भूमि जो कि बीना परियोजना के डूब क्षेत्र उपरांत बदले में वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु प्रदाय की गई थी, जिस पर वर्तमान में वन विभाग का अधिपत्य है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में बण्डा परियोजना के नाम से कम्प्यूटर अभिलेख में नाम परिवर्तन करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मौके पर राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। वन विभाग के पत्र क्रमांक/मा.चि./18/480 सागर दिनांक 08.02.19 जो कि वन मंडल अधिकारी सागर द्वारा सहमति प्रेषित की गई है। तहसीलदार बण्डा के प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा द्वारा अपनी अनुशंसा की गई।

अतः तहसीलदार बण्डा/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बण्डा के प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होकर मौजा बगपुरा प.ह.नं. 35 रा.नि.मं. बहरोल तहसील बण्डा जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :-

स.क्र.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	हस्तांतरित रकवा (हे.में)	मद
01	बगपुरा	35	364/2	50.00	50.00	वन विभाग म.प्र.शासन

कलेक्टर
सागर

P.T.O.

//2//

वन विभाग को पूर्व में इस न्यायालय के आदेश क्रमांक-988/री.कले./14 सागर दिनांक 12.02.14 के द्वारा हस्तांतरित हो चुकी है तथा अधिपत्य भी वन विभाग का है। अतः खसरा के कॉलम नंबर 12 में बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर बण्डा सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि के बदले अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

कलेक्टर
जिला-सागर

पृ0क0/4125/री0कले0/2019

सागर दिनांक 29/05/2019

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरुस्ती कराये जाने हेतु प्रेषित संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
2. परियोजना प्रशासक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार बण्डा जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर
जिला-सागर



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फॉर्म बी - II
खसरा

सी. एल. आर. नं.: 1110030200035108000058

ग्राम:सागरपुरा		हल्का :00035 शीर्ड सागर		य.पि.नं. :बहरोल		तहसील :बन्डा		लिहा :सागर		वर्ष : 2018-2019		
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में सांकेतिक न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई है और देश राजस्व का त्याग	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी भीजरी कार्रकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, त्याग या पट्टे की रकम और उप पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खतों की पूर्ति						खतों के बाहर के क्षेत्रों में बाई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैरियत	
				क्षेत्रफल जिसे वर्ष के दौरान में फसल लगाई गई		पट्टी का क्षेत्रफल		अन्य पट्टी अर्थात् 5 वर्ष से अधिक				
1	2	3	4	फसल का नाम	क्षेत्रफल	दफ्तरी क्षेत्रफल	बाकू वर्ष की पट्टी	2 से 5 वर्ष तक की पट्टी	अन्य पट्टी अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	11	12	
364/2	50.000 0वन शासकीय 50.000 0	(शासकीय) वन विभाग पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग शासकीय								अन्य 50.0000	श्रीमान कलेक्टर महो. सागर के य. प्र. क्र. 26/अ/19(3) वर्ष 2012-13 में पारित आ. दि. 23-11-12 के अनुसार इसख.नं. 364 रकबा 67.06 है. में से 50.00 है. भूमि बीना संयुक्त सिंचाई एवम बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वन विभागकी ुद्ध क्षेत्र में आने वाली भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को दिये जाने हेतु आरक्षित की गई न्यायालय कलेक्टर सागर के पत्र क्र 988-रीडर-14 दि. 12-2-14 के अनुसार वन विभाग को हस्तान्तरित। न्यायालय कलेक्टर महोदय के यो प्रो क्र 0 11 अ 19-3 वर्ष 2019-20 आदेश दि 0 29/05/2019 के अनुसार बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के स्थापन पर वंछा सिंचाई परियोजना को हस्तांतरित. 07/06/2019 को तहसीलदार द्वारा पूर्व में दर्ज भूमि प्रकार निजी से शासकीय में संशोधन किया गया।	

सुचना कोष

07 JUN 2019

